

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 221/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।	 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अंशाल शरी</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>गोसाडी</u> थाना नं० <u>183</u> खाता सं० <u>43</u> प्लॉट सं० <u>903, 923, 934</u> रकबा <u>4.73</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अंशाल शरी</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>4</u> के पृष्ठ सं० <u>24</u> पर जमाबंदी रैयत <u>रामलाल</u> <u>15</u> <u>निम्नांकित</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में लगान रसीद वर्ष 1981-82 एवं 2021-22

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा जोवाडी मौजा नं० 183 खाता सं० 43 प्लॉट सं० 903/23/34 रकबा 1.23.05 किस्म जोवाडी खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 24/4 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

**संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला
चेक-लिस्ट**

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, अंचल हैदराबाद

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	धाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जर्म
रामस्वामी सिंह	गोसाईगढ़	183	43	913, 923	4.72	गैरजमीन	जंगल सारी
विना-चल्लार सिंह				934			

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल सारी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II के परीक्षण के लिए अधिकार
कार्य में गंगा संधारण वर्ष का कोई आधार
दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी-II के गंगा कार्य करने
वाले पट्टा का नाम दर्ज नहीं
है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिविधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

पंजी-II के जमाबंदी कायम
किये जाने का कोई आधार
स्पष्ट नहीं है।

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/-रूपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी को जॉय किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा याचिका रिटर्न से

(ख) अंचल/अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) याचिका-स्थारिज/भू-प्रस्तावण/गामांतरण पंजी से :-

अंचल कार्यालय
में मैजिस्ट्रेट चातु पंजी
एवं तहसील के अधिकार
पर

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 को पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 को पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत नहीं
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :- नहीं
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध नहीं
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जॉय प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-
उत्तिवेदि श्री गौतम जोसर्वीह के खता सं. 43 ब्लॉक सं. 903, 923, 934 कुलरकबा 4.73 ए.
श्री का मंगल भोग्यादी राजस्वकल्पसिंह पिता चक्रसिंह के नाम से भोगपंजी-ए के फोर्स
29/4 पर दर्ज है। उस फोर्स पर भोग भयग फिर जाने का कोई आधार एवं पर्च का नहीं है।
श्री भोग्यादी को कैसे आप्र हुआ है यह भोगपंजी-ए के पक्ष में ठीक अधिकार अंकों में दर्ज
नहीं है तथा भोग्यादी से नोटिस के उपरांत उनके हाथ कोई सहायता भुगतान किया गया। रसीद/स्थिती
में यह पता नहीं चल पा रहा है कि उस श्री का Real fixation कैसे हुआ है। उत्तिवेदि
श्री भोग्यादी को कैसे दर्ज है तथा ब्लॉक का स्थिति जमाबंदी है। अतः रसीद/स्थिती के
अंग्रेजी कागज हेतु उत्तिवेद लगाना है। यह जमाबंदी अवैध उत्तिवेद होना है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जॉयोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

अंचल उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जॉय
प्रतिवेदन का जॉय किया नहीं जाया। अतः उपरोक्त
जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उप
पदा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- रामस्वल्प सिंह पिता - चत्तिर सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 4 पृष्ठ सं: 24 पर कायम।

गौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>जोसाईई</u>	<u>183</u>	<u>43</u>	<u>903, 923, 934</u>	<u>4.73 ए.</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- जमाबंदी कयम वर्ष का कोई आधार मोग पंजी में दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जोसाईई (माता)
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी-6 में दर्ज नहीं है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- अंचल कार्यालय में मौजूद पाबु पंजी-6 एवं खतियान के आधार पर

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>01</u>	<u>03/03/1982</u>	<u>32, 82, 28, 4453</u>	<u>1981-82</u>
<u>02</u>	<u>15/03/2021</u>	<u>05, 55, 55, 934</u>	<u>2021-22</u>

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 221/20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम राजस्व निरीक्षक

पिता - चक्रिण सिंह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा जोराईडीह थाना नं० 133 खाता सं० 43 खेसरा नं० 903, 923, 934 रकबा 473 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० VII के पंजी-II भाग 4 के पृष्ठ 24 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

8102836976